रजिस्टर्ड-पत्र (1)

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत
167297362
3/1/19

GTR 15
12.1.19

सत्यमेव जयते

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 3569

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 27/12/2018

महालेखाकार (ले.एवं.ह) का कार्यालय
O/o. the Accountant General (A&E)
INWARD
07 JAN 2019
No.
आंध्रप्रदेश, हैदराबाद-4.
Andhra Pradesh, Hyderabad-4

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

PM-5
AC-7
9/1/19

विषय:- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने /निःशक्त होने पर राहत स्वरुप पारिवारिक पेंशन / निःशक्ता पेंशन के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/2598-2670H दिनांक 30.11.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्पष्टीकरण अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे |

सलंग्न:- स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 30.11.2018 की प्रति

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

536006
9/1/19

Transferred to PM-OG-TS for n.a.
17/1/19
AAO/PM-AP

To
AAO/PM-OG-TS

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur-302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 2598-2670-H दिनांक : 30-11-2018

स्पष्टीकरण

वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 24.01.2018 बाबत विभिन्न कोषाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु इस विभाग को पत्र लिखे जा रहे हैं कि उक्त आदेश के तहत् दिनांक 01.01.2016 को दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने/निःशक्त होने पर अतिरिक्त राहतस्वरूप पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन भी बैंक द्वारा 2.57 से गुणा करके संशोधित की जानी है अथवा नहीं।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मेमोरेण्डम में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने/निःशक्त होने पर पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन का संशोधन निषेध नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा ऐसे प्रकरणों में भी वित्त (नियम) विभाग के उक्त मेगोरेण्डम दिनांक 24.01.2018 की पालना में पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन को भी 2.57 से गुणा कर संशोधित किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

PA

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बडौदा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पांचवी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड़, दुर्गापूरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक,यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड़, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग जीवन निधि भवन अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड़ जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4 सेक्टर 2 जवाहर नगर जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र– 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी–94, मुख्य सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल सी–स्कीम जयपुर।
11. उपमहाप्रबंधक (बैंकिग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस– I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड़ जयपुर।
12. सहायक महाप्रबंधक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, ...
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियो/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
16. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का. ....(राज.)
17. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
18. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग..........................कार्यालय हाजा।
19. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
20. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा।

8207

05 DEC 2018

संयुक्त निदेशक
एनपीएस

D:\Office -\Vishal\...